Jh ladV ekspu efUnj U;kl rkjknsoh] rglhy o ftyk f'keyk fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 01-01-10 ls 31-12-10

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu vof/k 17-08-04 ls 31-12-09 %&

पैरा 2	निर्णीत / समाप्त	
पैरा 3	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में समाविष्ट की गई है)
पैरा 4	निर्णीत	(प्रस्तुत किए गए उत्तर अनुसार)
पैरा 5	अनिर्णीत	
पैरा 6	अनिर्णीत	
पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा 11 में समाविष्ट है)
पैरा 8(क)	निर्णीत	(वर्ष 2010 की आय अलग–अलग दर्षाई है)
पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
पैरा 8(ग)	अनिर्णीत	
पैरा 8(घ)(I)	अनिर्णीत	
पैरा 8(घ)(II)	निर्णीत	(अब राषि रसीदों में अंकों व शब्दों में लिखी गई है)
पैरा 8(घ)(III)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर अनुसार)
पैरा 8(घ)(IV)	अनिर्णीत	
पैरा 8(घ)(V)	अनिर्णीत	
पैरा 8(ङ)(I)	अनिर्णीत	
पैरा 8(ङ)(II)	अनिर्णीत	
पैरा 9(I)	अनिर्णीत	
पैरा 9(II)(क)	अनिर्णीत	

पैरा 9(II)(ख)(1)	अनिर्णीत	
पैरा 9(II)(ख)(2)	अनिर्णीत	
पैरा 9(II)(ग)	अनिर्णीत	
पैरा 9(घ)	अनिर्णीत	
पैरा 9(च)	अनिर्णीत	
पैरा 9(छ)	अनिर्णीत	
पैरा 10	अनिर्णीत	
पैरा 11	निर्णीत	(अब कैष नियमित जमा किया जा रहा है)
पैरा 12(1)	अनिर्णीत	
पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
पैरा 13	अनिर्णीत	
पैरा 14	अनिर्णीत	
पैरा 15(1)(क)	अनिर्णीत	
पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	
पैरा 15(2)	अनिर्णीत	
पैरा 16	अनिर्णीत	
पैरा 17(क)	अनिर्णीत	
पैरा 17(ख)	अनिर्णीत	
पैरा 18(1)(क)	अनिर्णीत	
पैरा 18(1)(ख)	अनिर्णीत	
पैरा 18(2)(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
पैरा 18(3)(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
पैरा 19	अनिर्णीत	
पैरा 20(क)	अनिर्णीत	

पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
पैरा 21(क)	अनिर्णीत
पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
पैरा 22	अनिर्णीत
पैरा 23	अनिर्णीत
पैरा 24	अनिर्णीत
पैरा 25	अनिर्णीत
पैरा 26	अनिर्णीत
पैरा 27	अनिर्णीत
पैरा 28	अनिर्णीत
पैरा 29	अनिर्णीत
पैरा 30	अनिर्णीत
पैरा 31	अनिर्णीत
पैरा 32	अनिर्णीत
पैरा 33(क)(ख)	अनिर्णीत
पैरा 34	अनिर्णीत
पैरा 35	अनिर्णीत
पैरा 36	अनिर्णीत
पैरा 37	अनिर्णीत
पैरा 38(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारा देवी (षिमला) के अवधि 01.01.2010 से 31.12.2010 का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं श्री अनिल कुमार, व श्री कृष्ण लाल नेगी (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा दिनांक 11.07.2011 से 15.07.2011 तक मन्दिर न्यास परिसर, तारादेवी

में किया गया। माह 07/2010 का आय एवम् माह 10/2010 को व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संस्था द्वारा उपलब्ध न करवाई गई सूचनाओं अथवा गलत सूचना देने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अपितु अंकेक्षण का दायित्व केवल उक्त चयनित मासों तक ही सीमित है।

vd{k.k vof/k d nkjku fuEu vk;Dr@mik;Dr ,oe lfpo dk;jr jg %&

vk;DRk %&

Øe l0	uke	vof/k
1	श्री जे0एस0 राणा	01.01.2010 से 31.12.2010

v/;{k@lg&vk;Dr %&

1	श्री मान सिंह वर्मा	01.01.2010 से 17.05.2010
2	श्री लाईक राम नेगी	18.05.2010 से 31.12.2010

efUnj vf/kdkjh@lfpo

1	श्री प्रवीण कुमार टाक	01.01.2010 से 31.12.2010

3 vd{k.k 'kYd %&

अवधि 01.01.10 से 31.12.10 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5,000.00 आंका गया। अंकेक्षण दल की अधियाचना संख्या 116 ऑडिट 2010–2011, दिनांक 15.07.11 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला–171009 को भेजने हेतु मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr %&

¼d½ अवधि 01.01.10 से 31.12.10 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

vkjfEHkd 'k"k	o"k d nkjku vk;	C;kt dh ikIr	dy	0;;	vfUre 'k"k
41,60,315.02	46,11,294.00	1,91,980.74	93,54,440.76	21,13,239.00	72,29,646.76
	(+) 3,31,914.00			11,555.00	

(+) 58,937.00	
50]02]145-00	21]24]794-00

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में ₹3,31,914/–की राषि परिषिष्ट ''ख'' अनुसार रोकड़ बही में दो बार भुगतान दर्षाई गई थी, जबकि वास्तविक भुगतान एक ही बार किया गया था जिसे दिनांक 31.03.2010 को व्यय का विस्तृत विवरण दिए बगैर आय के रूप में समायोजित किया गया है। जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में ₹30,581/–ब्याज के ₹2,306/–छूट के रूप में, ₹134/–कम जमा, ₹5,916/–जमा (कम) व ₹20,000/–बैंक चैक रद्द आदि के इन्द्राज पहले रोकड़ बही में नहीं किए गए थे जिन्हें दिनांक 31.03.2010 को आवष्यक सुधार कर रोकड़ बही में दर्ज कर दिया है। अतः समायोजन स्वरूप दिनांक 31.03.2010 को दर्षाया गया है।

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 3 में समायोजन हेतु शेष राषियाँ जो रोकड़ बही जमा दर्षाई गई थी जो वास्तव में जमा नहीं हुई थी जिन्हें दिनांक 31.03.2010 को रोकड़ बही में आवष्यक सुधार उपरान्त नाम डाला गया है जिसका विवरण निम्न है :–

(1) ₹5000/–की राषि जो बतौर Earnest Money प्राप्त हुई थी ठेकेदार को मूल स्वरूप अर्थात चैक के रूप में ही वापिस की गई थी।

(2) ₹5400/–का चैक जारी किया गया था जिसे भुगतान स्वरूप नहीं दर्षाया गया था।

(3) ₹1155/–बैंक चार्जिज के रूप में।

अतः उक्त ₹11555/–की राषि अब रोकड़ बही में आवष्यक सुधार कर नाम/Debit कर दी है। रोकड़ बही अनुसार बनाई गई वित्तीय स्थिति अनुसार 31.12.2010 को अन्तिमषेष ₹72,29,646.76 आता है दिनांक 31.12.2010 को जमा राषि का विवरण :–

1	हस्तगत राषि	5502.00
2	विजय बैंक में जमा राषि	29,74,784.00
3	इन्डस बैंक में जमा राषि	4258968.26

4	युनियन बैंक ऑफ इन्डिया में जमा राषि	2,709.46
5	युको बैंक में जमा राषि	3,257.00
6	बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा राषि	1,685.04
	d|y ;kx	72]46]905-76

vr% vUrj 72]46]905-76 & 72]29]646-76 ¾ 17]259-00

Ø0 l0	vUrj dk fooj.k fuEu i:dkj g	jkf’k
1	दिनांक 25.02.2010 को बैंक में जमा राषि जिसे रोकड़ बही में नहीं दर्षाया गया है	46.00
2	दिनांक 19.06.2010 को बैंक में जमा रषि जिसे रोकड़ बही में जमा नहीं दर्षाया गया है	600.00
3	वर्ष 2010 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 10580100000006 में अर्जित ब्याज जिसे रोकड़ वही में नहीं दर्षाया गया है।	66.00
4	वर्ष 2010 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया खाता संख्या 4918 में अर्जित ब्याज जिसे रोकड़ बही में नहीं दर्षाया गया है।	93.00
5	वर्ष 2010 में लिए यूकों बैंक खाता संख्या में 2164 में अर्जित ब्याज जिसे रोकड़ बही में नहीं दर्षाया गया।	111.00
6	दिसम्बर, 2010 में जारी चैक जो भुगतान हेतु 31.12.2010 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए	16343.00
		₹17]259-00

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि आय स्वरूप अर्जित की गई राषि जिनका विवरण उपर क्रम संख्या 1 से 5 तक विस्तृत रूप से दिया गया है, का लेखांकन रोकड़ बही में किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ jkdM cgh e fnukd 01-04-2010 dk ikjfEHkd 'k"k ₹19034@& l vf/kd n'kkukA

अंकेक्षण के दौरान पाया कि अवधि 01.01.2010 से 31.03.2010 तक के लिए मन्दिर न्यास द्वारा आय के लिए अलग रोकड़ बही व व्यय के लिए अलग रोकड़ बही लेखांकित की गई थी जो नियमानुसार सही नहीं थी। मन्दिर न्यास द्वारा आवष्यक सुधार करते हुए दिनांक 01.04.2010 से

लेखांकन प्रक्रियानुसार व नियमानुसार रोकड़ बही बनाई गई थी लेकिन दिनांक 01.04.2010 को प्रारम्भिक शेष ₹53,85,256.28 दर्षाया गया था जबकि वास्तव में प्रारम्भिक शेष ₹53,66,176.28 था। अतः इस प्रकार रोकड़ वही के बैंक कॉलम में ₹19034/– अधिक दर्षाए जा रहे हैं तथा माह अन्त में बैंक समाधान विवरणी में मिलान हेतु दर्षाये जा रहे हैं जो कि अनुचित है अतः अधिक दर्षाई जा रही राषि के सन्दर्भ मं स्थिति स्पष्ट करते हुए आवष्यक सुधार करके रोकड़ बही के बैंक कॉलम में सही स्थिति दर्षाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ tek jkf'k dk mfpr foÙkh; izcU/ku u djus ls C;kt dh gkfu ½&

श्री संकट मोचन मन्दिर में 31.12.2010 तक ₹72,29,646.76 की राषि शेष थी जिसे विभिन्न बैंको को बचत खाते में रखा गया था अर्थात उक्त राषि पर केवल 3.5% प्रतिवर्ष की दर से ही ब्याज अर्जित किया जा रहा है। वास्तव में जो राषि मन्दिर कार्यों/व्यय हेतु उपयोग नहीं होनी थी, उतनी राषि सावधि जमा के रूप में बैंक में जमा करवाई जानी वांछित थी। अतः मन्दिर न्यास द्वारा उचित वित्तीय प्रबन्धन न किए जाने के फलस्वरूप हजारों रुपये के ब्याज की हानि हुई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि आधिक्य के रूप में बची शेष राषि को अधिक ब्याज अर्जित करने के उद्देष्य से बैंक में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेष करना सुनिष्चित किया जाए।

5 lksuk pkanh dh ys[kk fLFkfr ½&

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए सोना–चांदी के रजिस्टर (स्टॉक रजिस्टर) में 31.12.2010 तक सोने का अन्तिम शेष 44.64 ग्राम व चांदी का अन्तिम शेष 3533.13 ग्राम दर्षाया है जिसका विवरण परिषिष्ट (क) पर उपलब्ध है। अभिलेखों के विस्तृत अंकेक्षण में पाया गया कि स्टॉक की उक्त स्थिति दिनांक 25.10.2009 को सदस्य/कर्मचारियों/अधिकारियों की उपस्थिति में तोले गए सोने/चांदी की स्थिति यथावत ही है जिसका विवरण पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9 में भी स्पष्ट किया गया था। वर्ष 2010 अर्थात 01.01.2010 से 31.12.2010 तक निम्न विवरणानुसार सोने/चांदी की प्राप्ति मन्दिर न्यास द्वारा दर्षाई गई है :–

jlhn la[;k@fnukad	izkIr dh xbZ oLrq dk fooj.k	fVIi.kh
001, दिनांक 18.09.2010	छोटा सोने का छत्र	रसीद में प्राप्त की गई वस्तु का तोल नहीं लिखा है।
3569, दिनांक 27.03.2010	चांदी का कड़ा (एक)	रसीद में प्राप्त की गई वस्तु का तोल नहीं लिखा है।

3575, दिनांक 30.05.2010	चांदी की गद्दा (एक)	रसीद में प्राप्त की गई वस्तु का तोल नहीं लिखा है।
002, दिनांक 18.09.2010	चांदी का कड़ा (एक)	रसीद में प्राप्त की गई वस्तु का तोल नहीं लिखा है।

उपरोक्त रसीदों से प्राप्त किए गए सोने/चांदी का माप तोल का विवरण न देने के कारण वर्ष में सोने चांदी की प्राप्ति शून्य दर्षाई गई है उपरोक्त सब वस्तुओं का तोल अन्य वस्तुओं के साथ दिनांक 22.02.2011 को किया गया दर्षाया गया है तथा लेखांकन भी उसी दिन किया गया है। अतः प्राप्त की गई वस्तुओं (सोने/चांदी) को तोल रसीद में न दर्षाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा किसी भी प्रकार के गवन से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रसीद प्राप्ति के समय दान स्वरूप प्राप्त हुई सोने/चांदी की वस्तुओं का तोल करके ही रसीद जारी की जानी ही सुनिष्चित की जाए व तत्सम्बन्धी लेखांकन तिथिवार स्टॉक रजिस्टर में किया जाए। इस प्रकार वर्ष 2010 में प्राप्त सोने व चांदी की प्रमात्रा का आवष्यक जाँच के उपरान्त लेखांकन करके वस्तुस्थिति आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

6 ₹1]37]500@&dh jkf'k dk foKkiuksa vkfn ij vfu;fer Hkqxrku ¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी द्वारा विज्ञापनों आदि पर ₹1,37,500/–की राषि खर्च की गई दर्षाई है जिसका विस्तृत विवरण परिषिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है। विज्ञापनों आदि पर खर्च की गई राषियों के सन्दर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां आपेक्षित हैं :–

¼d½ हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 तथा उसके उपरान्त समय–समय पर किए गए संषोधनों में विज्ञापनों आदि पर खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है यद्यपि मन्दिर न्यास अपनी उपलब्धियां एवम् श्रद्धालुओं हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं बारे प्रथानुसार राष्ट्रीय स्तर/क्षेत्रीय समाचार पत्रों मे विज्ञापन जारी कर सकते है परन्तु संलग्न परिषिष्ट (ख) में जिन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए गए हैं जैसे कि ग्राम परिवेष षिमला, मोनाल टाईम्स षिमला, सोविनियर ग्रीष्म उत्सव षिमला, सीपुर मेला समिति सोविनियर, लवी मेला सोविनियर, पर्वत की गूंज आदि जिनका सरकुलेषन राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर का प्रतीत नहीं होता, जो कि विस्तृत सरक्यूरेषन के उद्देष्य की पूर्ति नहीं करता तथा इन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं हेतु दिए गए विज्ञापनों की दरें भी राष्ट्रीय समाचार पत्रों/पत्रिकाओं द्वारा निर्धारित दरों से कहीं अधिक है। अतः इस प्रकार की पत्रिकाओं/समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के

सम्बन्ध में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार के कृत्य पर निष्चित तौर पर अंकुष लगाया जाए।

¼[k½ xh"e dkyhu mRlo lfefr f'keyk] lkofu;j gsrq ₹50]000@&dk vuqfpr Hkqxrku ½&

मई, 2010 में श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास द्वारा ग्रीष्मोत्सव समिति षिमला को ₹50,000/–का भुगतान सौविनियर में विज्ञापन हेतु किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्व विन्यास अधिनियम में इस प्रकार का खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमानुसार मन्दिर न्यास में दान स्वरूप प्राप्त की गई राषि का उपयोग केवल मन्दिर न्यास परिसर विकास एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं व धार्मिक कार्यों हेतु ही व्यय किया जा सकता है। अतः उपरोक्त खर्च की गई राषि तर्क संगत प्रतीत नहीं होती तथा न ही न्यास की वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत भी उचित है। अतः इस सन्दर्भ में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त खर्च की गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास में जमा करवाई जाए।

7 ₹11]625@&dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku ½&

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास निधि से दषहरा उत्सव के पुतले बनाने के लिए दिनांक 11.10.2010 को ₹32,000/–व दिनांक 25.10.2010 को ₹48,000/–अर्थात कुल ₹80,000/–की राषि मैं0 निज़ाम अहमद शेख, गुन्नूघाट, नाहन को जारी की गई थी। उक्त कार्य हेतु मंगवाई गई निविदाओं में पाया गया कि रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतले बनाने एवम् आतिषबाजी के कार्य सम्बन्धी निविदायें दिनांक 07.10.2010 को खोली गई थी तथा केवल दो निविदाकर्त्ता द्वारा ही उक्त कार्य हेतु दरें भरी थी, जिनका विवरण निम्न है :–

(1)	मै0 चांद फाईर वर्क्स, सहारनपुर (उतर प्रेदष)	₹70,000.00
(2)	मै0 निज़ाम अहमद शेख, गुन्नूघाट नाहन सिरमौर	₹68,375.00

इस प्रकार मैं0 निजाम अहमद शेख द्वारा भरी गई दरे निम्न थी व नियमानुसार उसी को ही उक्त कार्य आबंटित किया गया था जबकि मै0 निज़ाम अहमद शेख, नाहन सिरमौर को आबंटित कार्य के कार्यान्वयन हेतु ₹80,000/–की राषि भुगतान की गई है अतः इस प्रकार ₹11,625/–का अधिक भुगतान किया गया है जिसे चूककर्त्ता अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली करके तुरन्त

मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 50 fdyksxzke pus dk LVkWd ftldk eqY; ₹1]461-50 FkkW] dh LVkWd jftLVj esa bUnzkt u djuk

संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारा देवी द्वारा हिमाचल राज्य नागरिक अपूर्ति निगम को उनके बिल संख्याः 414455, दिनांक 13.09.2010 ₹33,144/–के लिए चैक संख्याः 234585, दिनांक 01.10.2010 को भुगतान किया गया था। उक्त बिल के स्टॉक/भण्डारण इन्द्राज के अंकेक्षण में पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर में 50 किलोग्राम चने का इन्द्राज स्टॉक में नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रबन्धक, मन्दिर न्यास ने चर्चा में बताया कि उक्त वस्तु अर्थात 50 किलोग्राम चने की आपूर्ति हिमाचल प्रदेष राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वास्तव में नहीं की गई थी। अगर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वास्तव में ही उक्त वस्तु की आपूर्ति नहीं की थी तो उन्हें 50 किलोग्राम चने के बराबर मुल्य ₹1,461.50 का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹1461.50 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए।

9 ₹16]409@&dk [kpZ fcuk fufonk;sa exokus, vfu;fer :i ls djuk %&

व्यय हेतु चयनित माह 10/2010 के अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित मदों हेतु बिना निविदायें मंगवाये खर्च किए गए हैं जो कि नियमानुसार सही नहीं है न ही ऐसे में खुली बाज़ार प्रतियोगिता का लाभ उठाया गया है जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है :–

Øe la[;k	ekg	iQfrZdÙkkZ dk fooj.k fcy uEcj@fnukad	[kjhnh xbZ oLrq@vkbZ dk fooj.k	eqY;
1	10/2010	मै0 ए0एन0 इन्टरप्राईजेज़ कैंथू, षिमला–3 उनका बिल संख्याः 027, दिनांक 19.09.2010	गैस लाईन/गैस पलान्ट की रिपेयर हेतु	9130.00
2	10/2010	मैं0 शर्मा एण्ड कम्पनी बिल गंज बाजार, षिमला–1	राषन की खरीद की गई	7279.00
				₹16]409-00

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सामान/वस्तुओं की खरीद निविदायें आमन्त्रित करके ही की जाएं जिससे खुले बाजार प्रतियोगिता का पूर्ण लाभ उठाया जा सके। उक्त व्यय का सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुकूलन भी करवाएं व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करें।

10 eY; vfdr jlhnk dh Niokbl ckj %&

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर में दान प्राप्ति की क्रिया बहुत ही त्रुटि पूर्ण है क्योंकि रसीदों पर दान–राषि पूर्व प्रिंटिड नहीं है जिससे की रसीद जारी कर्त्ता कार्बन कापी की धन राषि में बदलाव कर सकता है अतः यह सुझाव दिया जाता है कि कार्बन कापी प्रणाली तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर, रसीदों में पूर्व प्रिंटिड/अंकित मुल्य राषि जैसे कि ₹10/–, ₹50/–, ₹100/– ₹500, ₹1000/– की प्रणाली (जिनका काऊंटर फाईल भी साथ लगा हो), जैसा कि श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर व श्री हनुमान मन्दिर न्यास जाखू में इसी प्रक्रियाानुसार प्राप्त की जा रही राषि की रसीदें जारी की जा रही हैं को लागू किया जाना उचित होगा ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना से बचा जा सके।

11 efUnj U;kl d deipkfj;k dk fn, tku okys osru&HkÙkk d :i e U;kl dh vk; ij iMu okys ck> dk vuikfrd nkf;Ro %&

मन्दिर के कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों के रूप में न्यास की आय पर पड़ने वाले बोझ का वर्ष–वार अनुपातिक दायित्व निम्न है :–

o"k	vk;	U;kl d deipkfj;k d osru ij 0;;	ifr'krrk
2008	32,54,378.00	3,21,256.00	09.87%
2009	35,67,241.67	4,32,000.00	12.11%
2010	50,02,145.00	8,23,440.00	16.46%

वर्तमान परिस्थितियों में न्यास की आय के दृष्टिगत वेतन व भत्तों का भुगतान, भविष्य में न्यास की आय में से किया जाना सम्भव रहेगा तथा वेतन व भत्तों के लिए न्यास द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/अनुदान राषि सरकार से प्रदान नहीं की गई है।

12 efUnj U;kl Jh ldV ekpu] rkjk noh }kjk viu depkfj;k dk vkcfVr fd, x, vkokl d cny ykbll Qhl dh ikfIr u djuk %&

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिषिष्ट संलग्न –''ग'') के अनुसार न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। अंकेक्षण में पाया गया कि आवास की सुविधा के बदले कर्मचारियों से लाईसैंस फीस की कटौती उनके देय वेतन से नहीं की जा रही है जो कि नियमों के विरूद्ध है। हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी0ए0डी0–7(जी)1–12/81, दिनांक 26.10.1999 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को बिना किराये का (Rent free accommodation abolished) न दिए जाएं। इस प्रकार कर्मचारियों को आबंटित किए गए मकान के बदले में लाईसैंस फीस प्राप्त न करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को आबंटित मकान के एवज़ में प्रदेष सरकार द्वारा निर्धारित लाईसैंस फीस के आधार पर गणना करके अपेक्षित लाईसैंस फीस देय तिथि से वसूल करके मन्दिर न्यास में जमा करवाई जाए व भविष्य हेतु इसकी तुरन्त प्रभाव से कटौती की जानी भी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

13 ₹16]702@&dk fctyh fcy d :i e] depkfj;k dk vkcfVr vkokl e yx ehVjk dk vufpr Hkxrku %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा दी गई है तथा कर्मचारियों के आवास पर लगे मीटरों के बिलों का भुगतान भी मन्दिर न्यास द्वारा ही किया जा रहा है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। प्रबन्धक मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जो परिषिष्ट ''घ'' पर उपलब्ध है में पाया गया कि वर्ष 2010 में ही कर्मचारियों के आवास पर लगे बिजली मीटरों पर ₹16,702/–का भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। अतः ₹16,702/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके न्यास निधि में जमा करवाये जाऐं व भविष्य में ऐसे भुगतान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।

14 efUnj e lh0lh0Vh0oh0 yxoku ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर में सी0सी0टी0वी0 (कैमरे) नहीं लगवाये गए हैं जबकि मन्दिर में चढ़ावे व सुरक्षा की निगरानी के दृष्टिगत कैमरों का लगाया जाना आवष्यक है अर्थात एक तो मन्दिर में विभिन्न रूप से चढाए जा रहे कैष व वस्तुओं की निगरानी की जा सकती

है दूसरा मन्दिर सुरक्षा की दृष्टि से भी कैमरों का लगाया जाना आवष्यक है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर परिसर में विभिन्न आवष्यक स्थानों पर कैमरों को लगाया जाए जिसकी रिकार्डिंग एक या दो महीनों तक रखी जाए तथा मन्दिर परिसर व चढ़ावे की निगरानी मन्दिर के उच्चाधिकारियों द्वारा भी इन्टरनेट के माध्यम से की जाए ताकि मन्दिर की आय पर सीधा नियन्त्रण रखा जा सके।

15 LVkd vkfMVdy dk iR;{k lR;kiu u djuk %&

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारा देवी के स्टॉक पंजिकाओं, अवधि 01.01.2010 से 31.12.2010 तक के लेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा स्टॉक वस्तुएं जैसे सोना/चांदी, फर्नीचर इत्यादि वस्तुओं का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस कारण स्टॉक रजिस्टर में अंकित कीमती सामान का वास्तव में होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में कीमती सामान एवं अन्य भण्डारण सामग्री के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिष्चित करें। तत्सम्बन्धी परिणाम से आगामी अंकेक्षण में अवगत करें।

16 y/kq vkifRr foojf.kdk %& लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई है।

17 fu"d"kZ %& लेखों में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)261/08–खण्ड–1, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

i`thdr %&1- मन्दिर अधिकारी श्री संकट मोचन न्यास तारा देवी को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीर्घ भेजें।

2- प्रधान सचिव (एल0ए0सी0), हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला–2.

3- उपायुक्त एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री संकट मोचन, जिला षिमला (हिमाचल प्रदेश)।

4- निदेषक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½